"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई; दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-01."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2008—आश्विन 11, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा. प्र. से. (1985) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क, आयुक्त, जनसंपर्क एवं सचिव, आवास-पर्यावरण विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, खनिज साधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्रमांक ई-1-17/2008/1/2.—श्री एम. के. राऊत, भा. प्र. से. (1984), को प्रमुख सचिव वेतनमान रुपये 22400-525-24500 में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. उन्हें प्रमुख सचिव वेतनमान का लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

2. श्री पी. सी. दलेई, भा. प्र. से. (1984), को प्रमुख सचिव वेतनमान रुपये 22400-525-24500 में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, महामहिम राज्यपाल पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है. उन्हें प्रमुख सचिव वेतनमान का लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

3. श्री पी. सी. दलेई द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 (I) के तहत सचिव, महामहिम राज्यपाल के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्रमांक 11030/22/2007-एआईएस-II, दिनांक 5-9-2008 के द्वारा प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति हेतु 02 रिक्तियों के निर्धारण की सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2008

क्रमांक 4153/1752/2008/1/2.—श्री पि. रमेष कुमार, भा. प्र. से., आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 08-09-2008 से 09-09-2008 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 07-09-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पि. रमेष कुमार आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पि. रमेष कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पि. रमेष कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2008

क्रमांक ई-1-20/2008/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बी. एल. ठाकुर, भा. प्र. से. (सी. जी.-1989) द्वारा सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10-09-2008 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम 16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 11-09-2008 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2008

क्रमांक ई-7/11/2003/1/2.— श्री एस. के. बेहार, भा. प्र. से., उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, छ. ग., रायपुर को दिनांक 22-09-2008 से 21-10-2008 (30 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 सितम्बर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बेहार, आगामी आदेश तक उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, छ. ग., रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बेहार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बेहार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री बेहार के उक्त अर्जित अवकाश अवधि में श्री विनोद गुप्ता, विशेष सचिव, छ. ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ उद्योग आयुक्त, छ. ग. का कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 1-76/03/10-2.—वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नांकित व्यक्तियों को एक वर्ष की अवधि के लिए, उनके नाम के सम्मुख दर्शित जिले में मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षक नियुक्त करता है. वे अपने क्षेत्र में राज्य के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के अधीनस्थ रहेंगे तथा उनके द्वारा प्रत्यायोजित उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का प्रयोग करेंगे :—

जिले का नाम		नाम एवं पता
रायपुर	(1)	श्री चन्द्रेश शाह, आत्मज स्व. श्री वीरचंद शाह, जोरापारा सिंधी स्कूल के सामने, रायपुर.
	(2)	श्री बबला होतवानी, आत्मज स्व. श्री फेरूमल होतवानी कटोरा तालाब, सिविल लाईन, रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अहिरवार, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 1-76/03/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-76/03/10-2, दिनांक 19-9-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अहिरवार, अवर सचिव.

Raipur, the 19th September 2008

No. F 1-76/03/10-2.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 4 of the wild Life (Protection) Act, 1972, (No. 53 of 1972) the State Government, hereby appoints, the following persons for the districts shown infront of their names as Honorary Wild Life Wardens for the period of one year from the date of publication of this notification in the Gazette. They shall be subordinate to the Chief Wild Life Warden of the State and exercise the powers and responsibilities delegated by the Chief Wild Life Warden, Chhattisgarh :—

Name of District (1)		Name and address (2)
Raipur	(1)	Shri Chandresh Shah, Son of Late Shri Veerchand Shah Jorapara infront of Sindhi School, Raipur.
	(2)	Shri Babla Hotwani, Son of Late Shri Ferumal Hotwani Katora Talab Civil Line, Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. L. AHIRWAR, Under Secretary.

कृषि (मछलीपालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ-7-4/36/अन्य/2008.—विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-2/36/तक/2006/मसमं, दिनांक 14-11-2006 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा श्री भीमसेन तारक, पिता श्री चैनसिंह तारक, ग्राम अटंग, विकासखंड कुरुद, जिला धमतरी को मत्स्य सलाहकार मंडल में अशासकीय सदस्य नामांकित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2008

क्रमांक/4919/कृ. प्र./2001/14-2.—उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 13 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, उक्त उपखण्ड के प्रयोजन के लिये नीचे दी गई माइक्रो न्युट्रिएन्ट मिश्रण (भूमि एवं पर्णिम छिड़काव हेतु)

के लिए अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शाये अनुसार अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मानक निर्धारित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	माइक्रो न्युट्रिएन्ट मिश्रण क्र.		मानक (अकार्बनिक भूमि एवं पर्णिम छिड़काव हेतु)	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(भूमि उपयोग हेतु)	(i)	जिंक (जस्ते के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	6.00
		(ii)	बेरान (बोरान के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	1.20
		(iii)	मॉलिबडेनम (मॉलिबडेनम) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	—
		(iv)	मेग्निज (मेग्निज के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	4.00
		(v)	लोहा (लोहा के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	3.00
		(vi)	कॉपर (कॉपर के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	0.80
		(vii)	जल में अघुलनशील पदार्थ प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	1.00
		(viii)	पी. एच. इससे कम नहीं	3.50
		(ix)	जल में घुलनशीलता प्रतिशत	100.00
		(x)	सीशा (सीशा के रूप में) प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	0.003
2.	(भूमि उपयोग हेतु)	(i)	जिंक (जस्ते के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	5.00
		(ii)	बेरान (बोरान के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	1.60
		(iii)	मॉलिबडेनम (मॉलिबडेनम) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	—
		(iv)	मेग्निज (मेग्निज के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	3.00
		(v)	लोहा (लोहा के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	5.00
		(vi)	कॉपर (कॉपर के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	1.50
		(vii)	जल से अघुलनशील पदार्थ प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	1.00
		(viii)	पी. एच. इससे कम नहीं	3.50
		(ix)	जल में घुलनशीलता प्रतिशत	100.00
		(x)	सीशा (सीशा के रूप में) प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	0.003
3.	(पर्णिम उपयोग हेतु)	(i)	जिंक (जस्ते के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	5.00
		(ii)	बेरान (बोरान के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	2.00
		(iii)	मॉलिबडेनम (मॉलिबडेनम) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	0.30
		(iv)	मेग्निज (मेग्निज के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	3.00
		(v)	लोहा (लोहा के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	4.00
		(vi)	कॉपर (कॉपर के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम भार द्वारा	1.00
		(vii)	जल में अघुलनशील पदार्थ प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	1.00
		(viii)	पी. एच. इससे कम नहीं	3.50
		(ix)	जल में घुलनशीलता प्रतिशत	100.00
		(x)	सीशा (सीशा के रूप में) प्रतिशत अधिकतम भार द्वारा	0.003

टीप :— उर्वरक मिश्रण तैयार करने के लिए राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना/दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये.

निबंधन एवं शर्तें

(1) प्रत्येक माइक्रो न्युट्रिएन्ट-उर्वरक मिश्रण के लिए न्यूनतम अभिशोधन संधारणीय होगा.

(2) केलेटेड/पार्टली केलेटेड माइक्रो न्युट्रिएन्ट उर्वरक मिश्रण शर्तों के अध्यधीन रहते हुए विनिर्दिष्ट न्यूनतम अभिशोधन भी व्यवस्थित हो ॥.

(3) विनिर्दिष्ट से सूत्रण उच्चतर अभिशोधन कराया जा सकेगा.

(4) यदि अतिरिक्त पोषक तत्व (एन. पी. के. कैल्शियम/मैग्निशियम तथा सल्फर) माइक्रो न्युट्रिएन्ट मिश्रण की सक्षमता में वृद्धि लाते हैं तो ऐसे अतिरिक्त पोषक तत्वों का मिश्रण किया जा सकता है. परन्तु ऐसे अतिरिक्त योग पौधों के लिए हानिकारक या विषैला नहीं होना चाहिए.

(5) विषैले पदार्थ जैसे सीशा (Pb), केडमियम (Cd), कोर्मियम (Cr), पारा (मरक्यूरी, Hg), मिश्रण में 0.003 प्रतिशत (भार द्वारा) से अधिक नहीं होना चाहिए.

(6) माइक्रो न्युट्रिएन्ट उर्वरक मिश्रण में अघुलनशील तत्व पर्णिम स्प्रे (फुहार) हेतु 3 प्रतिशत भार से अधिक नहीं होना चाहिए.

(7) पी. एच. शेल 3.5 से कम नहीं होना चाहिए.

(8) भूमि उपयोग हेतु भौतिक स्थिति पूर्ण रूप में हों.

(9) मिश्रण में प्रत्येक पोषक तत्व की वास्तविक मात्रा का पोषण पंजीयन के समय किया जाना अनिवार्य होगा.

(10) विभिन्न माइक्रो न्यूट्रिएन्ट उर्वरक मिश्रण के पंजीयन के लिए प्रस्तावों के साथ निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जावेगी और उसे कन्टेनर पर मुद्रित की जाएगी.

(i) पर्णिम स्प्रे मिश्रण के संबंध में प्रत्येक संस्तुत की गई फसल के लिए स्प्रे का अभिशोधन उपज पर अपेक्षित स्प्रे की संख्या तथा फसल का प्रक्रम जिस पर इसका स्प्रे किया जाना है.

(ii) भूमि उपयोग मिश्रण के संबंध में, संस्तुत की गई भूमि के प्रकार, मात्रा तथा प्रयुक्ति का समय उल्लिखित किया जाएगा.

Raipur, the 12th September 2008

S. No. 4919/Ag. cell/2001/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (2) of clause 13 of the fertilizer (Control) Order 1985, for purpose of the said sub-clause, State Government hereby, with effect form the date of Notification, sets standards for micro nutrient mixtures (for soil and foliar application), as mentioned in column (2) the schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Micro Nutrient Mixture No.	Specification (for inorganic and soil foliar application)		Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	(Soil application)	(i)	Zinc (as Zn) percent by weight minimum	6.00
		(ii)	Boron (as B) percent by weight minimum	1.20
		(iii)	Molybdnum (as Mo) percent by weight minimum	—
		(iv)	Manganese (as Mn) percent by weight minimum	4.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(v)	Iron (as Fe) percent by weight minimum	3.00
		(vi)	Copper (as Cu) percent by weight minimum	0.80
		(vii)	Matter insoluble in water percent by weight maximum	1.00
		(viii)	pH no less then	3.50
		(ix)	Solubility in water percent	100.00
		(x)	Lead (as Pb) percent by weight maximum	0.003
2.	(Soil application)	(i)	Zinc (as Zn) percent by weight minimum	5.00
		(ii)	Boron (as B) percent by weight minimum	1.60
		(iii)	Molybdnum (as Mo) percent by weight minimum	—
		(iv)	Manganese (as Mn) percent by weight minimum	3.00
		(v)	Iron (as Fe) percent by weight minimum	5.00
		(vi)	Copper (as Cu) percent by weight minimum	1.50
		(vii)	Matter insoluble in water percent by weight maximum	1.00
		(viii)	pH no less then	3.50
		(ix)	Solubility in water percent	100.00
		(x)	Lead (as Pb) percent by weight maximum	0.003
3.	(foliar application)	(i)	Zinc (as Zn) percent by weight minimum	5.00
		(ii)	Boron (as B) percent by weight minimum	2.00
		(iii)	Molybdnum (as Mo) percent by weight minimum	0.30
		(iv)	Manganese (as Mn) percent by weight minimum	3.00
		(v)	Iron (as Fe) percent by weight minimum	4.00
		(vi)	Copper (as Cu) percent by weight minimum	1.00
		(vii)	Matter insoluble in water percent by weight maximum	1.00
		(viii)	pH no less then	3.50
		(ix)	Solubility in water percent	100.00
		(x)	Lead (as Pb) percent by weight maximum	0.003

Note :— Notification/Guidelines for preparation of micro Nutrient, issued by Government of India, to be followed sternly.

TERMS AND CONDITIONS

(1) The minimum concentration notified for each micronutrient fertilizer mixture shall be maintained.

(2) Chelated/partially cheleted micronutrient fertilizer mixture can also be formulated subject to the condition that the minimum concentration specified shall be maintainted.

(3) A formulation can have higher concentration that the minimum specified.

(4) Additional of other nutrients (N. P. K. Ca/Mg and S) and other additives which may promote the efficacy of compounds are also allowed, however, such additions shall not create phytotoxicity.

(5) The concentration of the toxic elements like lead (as Pb) and Cadmium (as Cd), Chromium (Cr), and Mercury (Hg), in the mixtures shall not be more than 0.003 % each by weight.

(6) The insoluble matter in the micro-nutrient fertilizer mixtures meant for foliar spray shall not be more than 3% by weight..

(7) The pH shall not be less than 3.5.

(8) The physical condition has to be in powder form for soil application.

(9) Actual concentration of each nutrient in the formulation shall be declared at the time of registration.

(10) Along with proposals for registration of different micronutrient fertilizer mixtures, the following information shall be furnished and the same shall be printed on the container.

(i) In respect of foliar spray mixtures, the concentration of the spray, number of sprays required and stage of the crop at which it should be sprayed for each crop recommended.

(ii) In respect of soil application mixtures, soil type for which it is recommended. Quantity and time of application should be mentioned.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 1/1/2008/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, छ. ग. के अंतर्गत रायपुर/बिलासपुर संभागीय कार्यालय को विभाजित कर क्रमशः रायगढ़ एवं राजनांदगांव में नवीन संभागीय कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. विभाजन के फलस्वरूप रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा राजनांदगांव संभाग के अंतर्गत आने वाले उपसंभागों का कार्यक्षेत्र (सीमा) का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :—

क्र.	संभाग		उपसंभाग का नाम	कार्यक्षेत्र में आने वाले जिले का नाम
1.	रायपुर	(1)	रायपुर उपसंभाग, क्रमांक-1	रायपुर
		(2)	रायपुर उपसंभाग, क्रमांक-2	धमतरी, महासमुंद
		(3)	जगदलपुर उपसंभाग	बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर एवं बीजापुर
2.	राजनांदगांव	(1)	राजनांदगांव उपसंभाग	राजनांदगांव, कवर्धा
		(2)	दुर्ग उपसंभाग	दुर्ग
3.	बिलासपुर	(1)	बिलासपुर उपसंभाग	बिलासपुर
		(2)	कोरबा उपसंभाग	कोरबा, जांजगीर-चांपा
4.	रायगढ़ संभाग	(1)	रायगढ़ उपसंभाग	रायगढ़
		(2)	अंबिकापुर उपसंभाग	सरगुजा, कोरिया, जशपुर नगर

3. राजनांदगांव एवं रायगढ़ नवीन संभागीय कार्यालय खोलने हेतु निम्नलिखित पदों का निर्माण एवं नियमानुसार भरने की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	पदनाम	वेतनमान	रायगढ़ संभाग	राजनांदगांव संभाग	कुल पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कार्यपालन अभियंता (वि. सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक.	10000-15200	01 पद	01 पद	02 पद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	सहायक अभियंता (वि. सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	8000-13500	01 पद	01 पद	02 पद
3.	मुख्य विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक	6500-10500	01 पद	01 पद	02 पद
4.	विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक	5000-8000	01 पद	01 पद	02 पद
5.	सहायक ग्रेड-1	4500-7000	01 -,,-	01 -,,-	02 -,,-
6.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	01 -,,-	01 -,,-	02 -,,-
7.	ए. सहायक ग्रेड-3	3050-4590	02 -,,-	02 -,,-	04 -,,-
	बी. डाटा एन्ट्री आपरेटर	3500-5200	01 -,,-	01 -,,-	02 -,,-
8.	स्टेनों टायपिस्ट	3050-4590	01 -,,-	01 -,,-	02 -,,-
9.	विद्युतकार/ट्रेसर	3050-4590	01 -,,-	01 -,,-	02 -,,-
10.	जांच अनुचर	2750-4400	01 -,,-	01 -,,-	02 -,,-
11.	दफ्तरी	2610-3540	01 -,,-	01 -,,-	02 -,,-
12.	भृत्य	2550-3200	01 -,,-	01 -,,-	02 -,,-
13.	चौकीदार (पूर्णकालिक)	कलेक्टर दर पर	01 -,,-	01 -,,-	02 -,,-
14.	स्वीपर (अंशकालिक)	कलेक्टर दर पर	01 -,,-	01 -,,-	02 -,,-
	योग		**16 -,,-**	**16 -,,-**	**32 -,,-**

4. उपरोक्त नवीन संभागीय कार्यालय राजनांदगांव एवं रायगढ़ की स्थापना के लिये निम्नानुसार फर्नीचर क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों के पालन के शर्तों पर सी. एस. आई. डी. सी., दर पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	फर्नीचर/सामग्री	रायगढ़/राजनांदगांव संभाग हेतु फर्नीचर की मात्रा	दर	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	टेबल एक्जीकेटिव्ह साईज 180×120×75 से. मी.	06	6871=00	41226=00
2.	टेबल साधारण	14	2169=00	30366=00
3.	कुर्सी	48	644=00	30912=00
4.	पेपर टेक	12	155=00	1860=00
5.	पेपर ट्रे	12	109=00	1308=00
6.	फाईल रेक 1829×838×450 एम. एम.	20	1702=00	34040=00
7.	स्टूल	04	393=00	1572=00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	आलमारी 78"×36"×19 (लाकर सहित)	02	5491=00	10982=00
9.	आलमारी 78"×36"×19 (लाकर सहित)	08	4796=00	38368=00
	योग	—	—	190634=00
	वेट टैक्स 12.5 प्रतिशत	—	—	23829=00
	कुल योग	—	—	214463=00

5. नवीन संभागीय कार्यालयों के लिये निम्नानुसार कम्प्यूटर एवं उपकरण भण्डार क्रय नियमों के पालन के शर्तो पर सी. एस. आई. डी. सी. दर पर क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र.	सामग्री/उपकरण का नाम	रायगढ़/राजनांदगांव संभाग हेतु मात्रा	दर अनुमानित	योग राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कम्प्यूटर	02 नग	35,000=00	70,000=00
2.	प्रिन्टर लेजर	02 नग	9,000=00	18,000=00
3.	फोटोकापीयर	02 नग	50,000=00	1,00,000=00
4.	फैक्स मशीन	02 नग	16,000=00	32,000=00
5.	पंखे	10 नग	2,000=00	20,000=00
6.	कूलर	10 नग	5,000=00	50,000=00
	योग	28 नग	—	2,90,000=00
	12.5 वेट टैक्स	—	—	36,250=00
	कुल योग	—	—	326250=00

6. नवीन संभागीय कार्यालयों के लिये कार्यालय भवन जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर किराये से लिये जाने हेतु सहमति प्रदान करता नवीन संभागीय कार्यालयों के शासकीय कार्य संपादन हेतु एक-एक नग टेलीफोन लगाने की भी सहमति प्रदान करता है.

7. उपरोक्त नवीन संभागीय कार्यालयों की स्थापना के लिये आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय रुपये 48.58 लाख (अड़तालीस लाख अनठावन हजार रुपये) मात्र विमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

8. यह व्यय मांग संख्या-12, मुख्य शीर्ष-2045, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क-103-संग्रह प्रभार बिजली शुल्क, 428 संग्रह प्रभार-बिजली शुल्क, 01-वेतन भत्तों, वाहनों का क्रय-34-003-हल्का वाहन आदि के अंतर्गत विकलनीय होगा.

9. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. जावक क्रं. 567/सी. एन.-20506/बजट-5/वित्त/चार/2008, दिनांक 29-08-2008 द्वारा दी गई सहमति के अनुसार जारी की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवासीष दास, विशेष सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्रमांक 2758/तक-604/टीसी/2008.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा-138 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्राप्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है, और एतद्द्वारा सूचित करती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, (परिवहन) छत्तीसगढ़ राज्य शासन, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर, कक्ष क्रमांक-384, के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

नियम 214 के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(3) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 127 की उपधारा (3) तथा धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन भिन्न-भिन्न यानों के संबंध में देय अनुकर्षण व्यय, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी, अर्थात् :—

स. क्र.	वाहन के प्रकार	अनुकर्षण व्यय
1.	स्कूटर, मोटर-साईकिल	रु. 100.00 प्रतियान
2.	हल्के मोटरयान (कार, जीप, आटो-रिक्शा आदि)	रु. 200.00 प्रतियान
3.	भारी मोटरयान (खाली ट्रक, बस)	रु. 300.00 प्रतियान
4.	भारी मोटरयान (भरे हुए ट्रक, बस)	रु. 350.00 प्रतियान
5.	मध्यम मोटरयान	रु. 250.00 प्रतियान

Raipur, the 17th September 2008

No. 2758/Tech-604/TC/2008.—The following draft amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 Which the State Government proposed to make in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is published as acquired by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours by the office of Principal Secretary (Transport) of Government of Chhattisgarh State, Room No. 384, Dau

Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur will be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (3) of rule 214, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) Towing costs payable under sub-section (3) of Section 127 and sub-section (1) of Section 201 of the Motor Vehicles Act, 1988 in respect of different vehicles shall be levied as specified below, namely :—

S. No.	Class of Vehicles	Towing Cost
1.	Scooter, Motor-Cycle	Rs. 100.00 per vehicle
2.	Light Motor Vehicle (Car, Jeep, Auto-Rickshaw) etc.	Rs. 200.00 per vehicle
3.	Heavy Motor Vehicle (Empty Truck, Bus)	Rs. 300.00 per vehicle
4.	Heavy Motor Vehicle (Loaded Track, Bus)	Rs. 350.00 per vehicle
5.	Medium Motor Vehicle	Rs. 250.00 per vehicle

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्रमांक 2795/तक-550/टीसी/2008.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 65, 96 तथा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 70 के पश्चात् निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात्—

170-क स्लीपर शयनयान एवं अर्द्ध-स्लीपर शयनयान के संबंध में विशेष प्रावधान—

(क) शयनयान से अभिप्रेत है, डीलक्स वाहन के रूप में इस नियम के अंतर्गत वातानुकूलित इकाई के साथ या बिना निर्मित की गई वाहन और ऐसी वाहन का व्हील बेस 205 इंच से कम नहीं होगा.

(ख) अर्द्ध-शयनयान से अभिप्रेत ऐसे यान से है, जिसमें फर्श पर यात्री सीटें और ऊपर की ओर शयन हो, और ऐसी वाहन का व्हील बेस 205 इंच से कम नहीं होगा.

170-ख डीलक्स शयनयान

(1) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 93 सह-पठित नियम 128 (2), (3), (4), (5), (6), (9) (i), (12) व (13) के अध्यधीन यथा परिवर्तित रूप में लागू रहते हुए शयनयान/अर्द्ध-शयनयान के लिए विशेष प्रावधान निम्नानुसार होंगे—

170-ग डीलक्स शयनयान

(1) (क) शयनयान जिसकी आयु प्रथम पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक है तो उसे परमिट की वैधता के दौरान अनुज्ञात नहीं की जाएगी, और जहां ऐसा वाहन 10 वर्ष की अधिक आयु का होता है तो ऐसा परमिट अवैध हो जायेगा.

(ख) शयनयान अनुज्ञा-पत्र के अंतर्गत आने वाले वाहन, अनुज्ञा-पत्र जारी करते समय अथवा वाहन के प्रतिस्थापन के समय प्रथम पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष से अधिक आयु की नहीं होगी.

(2) **शयन/बर्थ व्यवस्था—**

(क) मोटरयान में शयन बर्थ की व्यवस्था वाहन के लम्बाई में केवल दो तलीय शयन आधार पर उपलब्ध की जाएगी. प्रत्येक शयन की लम्बाई न्यूनतम 1,750 मि. मि. तथा चौड़ाई न्यूनतम 760 मि. मी. एवं अधिकतम 900 मि. मि. तक होगी, प्रत्येक शयन की मोटाई न्यूनतम 75 मि. मि. होगी.

(ख) आने जाने के रास्ते (गेंगवे) की चौड़ाई 450 मि. मि. से कम की नहीं होगी.

(ग) दो शयन के मध्य संरचना विभाजक की चौड़ाई न्यूनतम 25 मि. मि. से कम की नहीं होगी.

(घ) वाहन के फर्श से निचला शयन न्यूनतम 150 मि. मि. ऊंचाई पर स्थापित किया जायेगा.

(ङ) नीचे की शयन में बैठे यात्री के लिए स्पष्ट शीर्षकक्ष (हेड-रूम) 800 मि. मि. से कम नहीं होगा.

(च) छत के बाजू के घुमाव को छोड़कर ऊपर के शयन का स्पष्ट शीर्षकक्ष (हेड-रूम) 650 मि. मि. से कम नहीं होगा.

(छ) ऊपर के शयन को ठोस प्रकार से विभाजक पर कील युक्त या झलाईदार अथवा रिपिट् युक्त मजबूती से पकड़ वाला बनाया जायेगा, और शयन पर लटकते हुए दो चमकदार इस्पात की जंजीर से मजबूती से पकड़ किये होंगे. यह इस्पात जंजीर छत के निर्माण भुजाओं पर कील युक्त या झलाईदार किये होंगे. जंजीर की लम्बाई ऐसी और पर्याप्त होगी कि यात्री शयनों पर सुविधा पूर्वक अन्दर या बाहर आ जा सके.

(ज) ऊपर की शयन के यात्री के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, ताकि वे ऊपर की शयन पर जा सके या नीचे आ सके.

(झ) ऊपर के शयन तक सुविधा पूर्वक पहुंचने के लिए एक सहायक हत्था और पैरदान सुविधाजनक ऊंचाई पर उपलब्ध किया जायेगा.

(ण) परिसहायक/व्यवस्थापक के लिए सीट को छोड़कर आने जाने के रास्ते में कोई सीट या शयन लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

(ट) प्रत्येक शयन वस्त्र आवरण से उपलब्ध की जायेगी, जो स्वच्छ एवं रोग मुक्त स्थिति में रखे जाने योग्य रहेगा.

(ठ) प्रत्येक यात्री को एक तकिया एवं दो साफ चादर उपलब्ध की जाएगी (एक ओढ़ने के लिए और दूसरी बिछाने के लिए) इन्हें हमेशा अच्छी और रोग मुक्त स्थिति में रखा जायेगा.

(ड) ऊपर की शयन के दोनों ओर नरम सामग्री युक्त का सुरक्षा कब्ज उपलब्ध किया जाएगा.

(3) **अन्य विवरण—**

(क) **शीर्षकक्ष**—यान की आंतरिक ऊंचाई 1,850 मि. मि. से कम नहीं होगी.

(ख) **बॉडी संरचना**— परिदृढ़ चेचिंस की दशा में ऐसे लोक सेवा यान की बॉडी चेचिंस पर उच्चटेनसाईल एवं इस्पात बोल्ट जो 16 मि. मि. की परिधि से कम न हो बनाया जाएगा. जहां ऐसे छिद्र करने को जैसा कि निर्माता द्वारा तकनीकी रूप से मान्यता दी गई है को छोड़कर चेचिंस के पार्श्व तकनीकी रूप से मान्यता दी गई है को छोड़कर चेचिंस के पार्श्व (दिशान्तरीय) भाग पर कोई छेद ड्रील मशीन से नहीं किया जाएगा. बॉडी संरचना और चेचिंस फ्रेम के बीच में रबर की पेकिंग या माउंटिंग समुचित मोटाई की होगी.

(ग) **फर्श**—ऐसे लोक सेवा यान के फर्श की सामग्री ध्वनि मुक्त, एन्टीस्कीड और धोने योग्य होगी. यात्रियों के लिए फर्श सुरक्षित होगा, और रबर या सेन्थेंटिक चटाई या गलीचे से ढका होगा. उचित पेकिंग सामग्री के द्वारा सभी जोड़ धूल मुक्त रहेंगे.

(घ) **छत**—ऐसे लोक सेवा यान की सिलींग की छत मुलायम सामग्री या समान सामग्री जैसे ए. बी. एस. प्लास्टिक से दबाव समाप्त करने के लिए उपलब्ध किया जाएगा.

(ङ) **प्रकाश**—सामान्य प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त प्रत्येक शयन के लिए सुविधाजनक स्थान पर व्यक्तिगत रीडिंग लाईट उपलब्ध की जाएगी.

(च) **रंग-रोगन और सजावट**—ऐसी लोक सेवा यान को "नेट्रो सेल्यूलेस" या "सेन्थेटिक इनमेल" या अन्य उचित रंग से जो अनुज्ञात रंग योजना की हों रंग किया जाएगा.

(छ) **वातानुकूलित यंत्र कक्ष**—

(1) ऐसे लोक सेवा यान में समुचित मानक के वातानुकूलित यूनिट लगायी जा सकेगी.

(2) वातानुकूलित इंजन कक्ष ध्वनि रोधक सामग्री से युक्त होगा, ताकि इंजिन के शोर को युक्ति युक्त डी. बी. लेबल तक और कंपन या माउंटिंग के कंपन सेल्यून कक्ष से कम कर सके.

(3) **शिथिलीकरण देने की शक्ति**—राज्य शासन डीलक्स शयनयान/शयन बस के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी वाहन को ठंढे करने की क्षमता या ऊपर दर्शाई गई किसी भी शर्त से लिखित में कारण दर्शाते हुए आदेश द्वारा शिथिलीकरण प्रदान कर सकता है.

(ज) **खिड़कियां**—

(i) खिड़कियां दोहरी स्लाड़िंग युक्त स्लाईडर जो चेनल में सुगमतापूर्वक आगे पीछे बिना कंपन के हो सके और जो सम्पूर्ण सुरक्षा या लेमिनेटेड सेफ्टी कांच जो भारतीय मानक ब्यूरों के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो उपलब्ध की जएगी. खिड़कियों में खिसकने वाले पर्दे उपलब्ध किये जाएंगे.

(ii) जहां स्थिर कांच उपलब्ध किये गये हों, ऐसी दशा में कम से कम छत के ऊपर समुचित स्थान पर वायु परिचालन के लिए कम से कम एक दरार उपलब्ध की जाएगी.

(iii) खिसकने वाली खिड़कियां चालक विभाजक में चालक के ठीक पीछे उपलब्ध की जाएगी.

(झ) **विविध**—

(i) ऐसे लोक सेवा यान में कोई हेट-रेक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(ii) ऐसे लोक सेवा यान वेबलर संसपेंशन या न्यूमेटिक संसपेंशन से युक्त होगा.

(iii) केनरी के प्रतिबिंबित रिबन पीले रंग में 50 मि. मि. चौड़ाई के आगे और पीछे की ओर बम्पर के स्कर्ट लेबल पर उपलब्ध किये जायेंगे.

(iv) ऐसे लोक सेवा यान में परिसहायक/व्यवस्थापक यात्रियों की सेवा के लिए चालक/चालकों या परिचालक के अतिरिक्त उपलब्ध किया जाएगा.

170-घ. अर्द्ध शयनयान—

(i) अर्द्ध शयनयान में शयन बर्थ की लम्बाई में उपलब्ध की जाएगी, कोच के ऊपरी आधे भाग में दोनों ओर एकल शयन कतार में होगी, को छोड़कर डीलक्स शयनयान के प्रावधान अर्द्ध शयनयान पर, जहां तक लागू हो सकेंगे, लागू किये जायेंगे. प्रत्येक शयन की लम्बाई न्यूनतम 1,750 मि. मि. से कम नहीं होगी और चौड़ाई 450 मि. मि. से कम नहीं होगी, प्रत्येक शयन की मोटाई न्यूनतम 75 मि. मि. होगी.

(ii) (1) प्रथम पंजीयन दिनांक से 10 वर्ष से अधिक पुरानी अर्द्धशयनयान को परमिट नहीं दिया जाएगा. परमिट की वैधता के दौरान यदि वाहन 10 वर्ष से अधिक की हो जाती है तो ऐसा परमिट अवैध हो जायेगा. अर्द्धशयनयान

परमिट के अंतर्गत आने वाले वाहन से प्रारम्भिक परमिट जारी करने के अथवा वाहन प्रतिस्थापन करने के समय प्रथम पंजीयन दिनांक से 05 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी.

(2) सीट योजना यान में दोनों ओर दो और दो में होगी, सभी सीटें आगे की ओर मुख किये, बीच का मार्ग स्पष्टत: कम से कम 355 मि. मि. का होगा. प्रत्येक यात्री सीट का न्यूनतम क्षेत्र 447 मि. मि. × 457 मि. मि. का होगा. और एक आर्मरेस्ट दोनों ओर होगा ओर सीट पार्श्व पूरी ऊंचाई का होगा.

170-ङ **शिथिलीकरण प्रदान करने की शक्ति**—राज्य शासन डीलक्स शयनयान/अर्द्धशयनयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी वाहन को आदेश द्वारा ऊपर दर्शाई गई किसी भी एक या अन्य शर्त से लिखित में कारण दर्शाते हुए शिथिलीकरण प्रदान कर सकता है.

170-च **पंजीयन प्रमाण-पत्र और अनुज्ञा-पत्र में इन्द्राज**—डीलक्स शयनयान और अर्द्ध शयनयान जैसी भी स्थिति हो, के पंजीयन प्रमाण पत्र और अनुज्ञा-पत्र में सीट क्षमता, शयन क्षमता और वातानुकूलित युक्त अथवा मुक्त संबंधी विवरण दर्ज किये जाएंगे.

Raipur, the 22th September 2008

No. 2795/Tech-550/TC/2008.—In exercise of the powers conferred by Section 65, 96 and 211 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) the State Government hereby amends the Chhattisgarh Motoryan Niyam, 1994 which has already been published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After rule 170, the following shall be inserted, namely :—

"170-A. Special provisions for Sleeper Coach and Semi Sleeper Coach—

(a) "Sleeper Coach" means a deluxe vehicle constructed as such under this rule, with or without Air-Condition Unit an the wheel base of such vehicle shall not be less than 205 inches.

(b) "Semi Sleeper Caoch" means a coach having passenger seats on the floor and berths on the upper side of it, and the wheel base of such vehicle shall not be less than 205 inches.

170-B. Deluxe Sleeper Coach—

(1) Subject to rule 93 read with mutatis application of the provisions of rule 128 (2), (3), (4), (5), (6), (9) (i), (12) and (13) of the Central Motor Vehicles Rule, 1989, the special provisions for Sleeper Coach/Semi-Sleeper Coach shall be as here under—

170-C. Deluxe Sleeper Coach—

(1) (a) No Sleeper Coach of more then ten years age from the date of first registration, shall be permitted during the validity of its permit and where the vehicle becoming more than ten years age, such permit shall become invalid.

(b) The vehicle covered by sleeper coach permit, shall not be more than five years from the date of first registration of its at the time of initial issue of permit or replacement of vehicle.

(2) **Sleeper/Berth arrangement—**

(a) The sleeper berth shall be provided along with the vehicle with two tier system only. The length of each berth shall not be less than 1,750 mm. and width not less than 760 mm. and not more than 900 mm. The thickness of each berth shall not be less than 75 mm.

(b) The width of the Gangway shall not be less than 450 millimeters.

(c) The width of the structure partition shall not be less than 25 mm. between the two berth.

(d) The lower berth shall be fixed at a minimum height of 150 mm. from the flooring of the vehicle.

(e) The clear head room for the sitting passenger at lower berth shall not be less than 800 mm.

(f) The clear head room for upper berth shall not be less than 650 mm. except at the side curves of the roof.

(g) The upper berth shall be either fixed type with supports fixed rigidly by means of bolting or welding or pivot mounted at the partition and suspended by two bright steel chains mounted on hinges on berths. These chains shall be fixed rigidly by means of bolting or welding to the roof structural members, The length of chain shall be such and sufficient that the passenger could move easily in or out on the berths.

(h) Suitable arrangements shall be made for the upper berth passengers to enable them to go up or come down from the upper berth.

(i) An assist handle and footrest shall be provided for comfortable occupation of the upper berth at the convenient height.

(j) No seat/berth shall be permitted to be fitted in the gangway except a seat for coach attendant/manager at suitable place.

(k) Each berth shall be provided with fabric covering, which shall be capable of being kept in a clean and hygienic condition.

(l) One pillow and two neat linen shall be provided to each passenger. (one for wrapping and another for spreading). These shall be always in good and hygienic conditions.

(m) Safety guard covered with soft material on either side of the upper berth shall be provided.

(3) **Other particulars—**

(a) **Headroom-** The internal height of the saloon shall not be less than 1,850 mm.

(b) **Body mounting-** In case of rigid chassis the body of such public service vehicle shall be mounted on the chassis with high tensile, steel bolts with diameter of not less than 16 mm. No holes shall be drilled in the chassis side members (Longitudinal) except where such drilling is technically approved by the chassis manufactures. Rubberised packing or mounting of adequate thickness shall be used between the body structure and the chassis frame.

(c) **Flooring-** Flooring material of such public service vehicle shall be sound proof, anti-skid and washable. The floor shall be safe for the passengers and be covered with rubber or synthetic matting or carpets. All joints shall be dust proof by suitable packing material.

(d) **Roof-**Roof of ceiling of such public service vehicle shall be provided with soft material or equivalent materials like A. B. S. plastics to prevent impact.

(e) **Light-**Individual reading light at convenient location for each berth shall be provided in addition to normal lighting arrangement.

(f) **Painting and finishing-** Such public service vehicle shall be painted in "Nitro Cellulose" or "Synthetic Enamel" or other suitable paints of any permissible color scheme.

(g) **Air-condition unit mounting-**

(1) Such public service vehicle may be equipped with Air-Conditioning unit of adequate standard.

(2) The Air-condition engine compartment shall be provided with sound insulating

materials so as to damper the engine noise to suitable D. B. Level: and with vibrating mounting so as to minimise vibration factors in the saloon compartment.

(h) **Power of grant relaxation.** The State Government may grant relaxation by order to the vehicle registered as Deluxe Sleeper coach/Sleeper Bus from cooling capacity or any of the above condition, giving reasons in writing.

(i) **Windows—**

(i) The windows shall be provided with double sliding type slider running smoothly in channels without rattle and with all safety or laminated safety glasses conforming to the standard laid down by the bureau of Indan standards. Windows shall be provided with sliding curtains.

(ii) In case where the fixed galsses are provided, minimum one hatch should be provided on roof top at suitable place for air circulation.

(iii) Sliding windows shall be provided to the driver partition immediately behind the driver.

(j) **Miscellaneous—**

(i) No hat rack shall be permitted in such public service vehicle.

(ii) Such public service vehicle shall have weveller suspension or pneumatic suspension.

(iii) Reflective tape of canary yellow colour of 50 mm. width shall be provided at rear and front side at skirt level of/on bumper.

(iv) Such public service vehicle shall have an attendant/manager to take care of the passengers in addition to the driver/drivers or conductor.

170-D. Semi-Sleeper Coach—

(i) The provisions of deluxe sleepwe coach shall as for as, be applicable to Semi-Sleeper coach except, the sleeper berth in semi-sleeper coach should be provided along with the vehicle in the upper half side of the coach in single berth row on both side. The length of each berth of less shall not be less than 1,750 mm. and width not less than 450 mm. The thickness of each berth shall not be less than 75 mm.

(ii) **Age of the Semi-Sleeper Coach—**

(1) No Semi-Sleeper Coach of more than ten years age from the date of first registration, shall be permitted. During the validity of its permit, where the vehicle becoming more than ten years age, such permit shall become invalid.

(2) The vehicle covered by semi-sleeper coach permit, shall not be more than five yeas old from the date of its first registration at the time of initial issue of permit or replacement of vehicle.

(3) Seating layout shall be two and two on either side, all seats facing forward, with a clear gangway of atleast 355 mm. at the centre. Each passenger seat shall have a minimum area of 447 mm. x 457 mm. and an arm-rest on both sides and seat-back of full height.

170-E. Powers of State Government to grant relaxation-The State Government may grant relaxation by order to the vehicles registered as Deluxe Sleeper Coach/Semi-Sleeper coach from one or any of the above conditions giving reasons in writing.

170-F. Entry in Certificate of Registration and Permit-Seating capacity, berth capacity and with-or without A. C. particulars shall be entered in the certificate of registration and permit of Deluxe Sleeper Coach and Semi Sleeper coach as the case may be.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2008

क्र. 1367 A/567/2006/स्था./चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वित्त सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में ;—

1. नियम 36 ग के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"36-ग. सेवा की वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें —

(1) सेवा में केवल ऐसे ही अधिकारी वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति किए जाने हेतु विचार किए जाने के पात्र होंगे, जिन्होंने चयन वर्ष की पहली जनवरी को सेवा के प्रवर श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.

(2) सेवा की प्रवर श्रेणी में कार्यरत अधिकारियों को सेवा की वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयन किए जाने हेतु अनुसूची-चार के कालम (6) में विनिर्दिष्ट समिति द्वारा विचार किया जाएगा.

(3) चयन "वरिष्ठता सह योग्यता" के आधार पर किया जायेगा.

(4) उपरोक्तानुसार चयन सूची, आगामी एक वर्ष की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सामान्यत: प्रतिवर्ष तैयार की जायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा उसका अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् सेवा के वरिष्ठ प्रवर श्रेणी में उसमें से नियुक्तियां की जायेंगी.

(5) राज्य शासन द्वारा उपरोक्त उपनियम (4) के अधीन अनुमोदित चयन सूची ऐसे अनुमोदन की तारीख से अधिकतम 18 मास की कालावधि के लिये या चयन समिति की आगामी बैठक होने तक, जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य रहेगी.

परन्तु शासन चयन सूची को साधारणत: या जहां तक कि उसका संबंध किसी विशिष्ट अधिकारी से हो, उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व भी पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित कर सकेगी.

2. अनुसूची एक, दो तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियाँ प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:-

अनुसूची -एक

(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों तथा उनके वेतनमानों के प्रवर्गों का विवरण	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	(i) कनिष्ठ वेतनमान (8000-275-13500) संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या का 55%	148	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
		(ii) वरिष्ठ वेतनमान (10000-325-15200) संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या का 25%	68	राजपत्रित प्रथम श्रेणी
		(iii) प्रवर श्रेणी वेतनमान (12000-375-16500) संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुलसंख्या का 15%	40	राजपत्रित प्रथम श्रेणी
		(iv) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (14300-400-18300) संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या का 5%	14	राजपत्रित प्रथम श्रेणी

टीपः- छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग में अधिकारियों की नियुक्ति नियम 8 (1)(ग) के अनुसार स्वीकृत पदों की

कुल संख्या के अनुपात से अधिक नहीं होगी ।

अनुसूची -दो
(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	कॉलम (3)में दर्शाये पदों का प्रतिशत जो सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा भरे जायें		टीप
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	270	50%	50%	कनिष्ठ वेतनमान में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति तथा वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति हेतु पदों की गणना संवर्ग के कुल पदों की संख्या के आधार पर की जायेगी

अनुसूची -चार

(नियम 22, 36-क 36-ख तथा 36-ग देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम जिससे कि पदोन्नति / नियुक्तियां की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति / नियुक्तियां की जानी है	पदोन्नति / नियुक्तियों के लिये अपेक्षित सेवा की कुल अवधि	विभागीय पदोन्नति / चयन समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	1. छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा	सहायक कोषालय अधिकारी/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी/उपकोषालय अधिकारी/कनिष्ठ लेखा अधिकारी /व्याख्यांता, लेखा प्रशिक्षण शाला	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिकारी/लेखा अधिकारी/आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी/सहायक संचालक/प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला	05 वर्ष	1. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य ....अध्यक्ष 2.वित्त सचिव ....-सदस्य 3. आयुक्त/ संचालक, कोष लेखा तथा पेंशन ....-सदस्य
वित्त विभाग	2. छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	कनिष्ठ वेतनमान कोषालय अधिकारी/लेखा अधिकारी/आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी/सहायक संचालक/प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा का वरिष्ठ वेतनमान वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी /उपसंचालक	06 वर्ष	1. वित्त सचिव ....-अध्यक्ष 2.अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग ....-सदस्य 3. सचिव/ विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ....-सदस्य 4. आयुक्त/ संचालक, कोष लेखा तथा पेंशव ....-सदस्य

1	2	3	4	5	6
	3. छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	वरिष्ठ वेतनमान वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ उपसंचालक	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा प्रवर श्रेणी वेतनमान संयुक्त संचालक/मुख्य लेखा अधिकारी /वित्तीय सलाहकार	4 वर्ष	1. वित्त सचिव ....-अध्यक्ष 2.अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग ....-सदस्य 3. सचिव/ विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ....-सदस्य 4. आयुक्त/ संचालक, कोष लेखा तथा पेंशन ....-सदस्य
	4. छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा	प्रवर श्रेणी वेतनमान संयुक्त संचालक/मुख्य लेखा अधिकारी/वित्तीय सलाहकार	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान अपर संचालक	5 वर्ष	1. वित्त सचिव ....-अध्यक्ष 2.अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग ....-सदस्य 3. सचिव/ विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ....-सदस्य 4. आयुक्त/ संचालक, कोष लेखा तथा पेंशन ....-सदस्य

ये संशोधन दिनांक सितम्बर, 2008 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजयेन्द्र सिंह, सचिव.

Raipur, the 22nd September 2008

No. 1367 A/567/2006/Estt./Four.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Consitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Finance Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1965, namely :—

AMENDMENT

In the said rules –

1. For rule 36 C, the following rule shall be substituted, namely;-

"36-C. Conditions of eligibility for appointment to the Senior Selection Grade of the Service-

(1) Only such of the officers of the service shall be eligible for consideration for appointment to Senior Selection Grade of the service who have completed on the 1st January of the year of Selection, 5 years of service in the selection grade of the Service.

(2) Officers working in the selection grade of the service shall be considered for being selected for appointment to the Senior Selection Grade of the service by a Committee specified in column (6) of Schedule IV.

(3) Selection shall be made on the basis of "seniority-cum-merit".

(4) A select list as above shall ordinarily be prepared every year looking to the requirements of the next one year, and appointments to the Senior Selection Grade of the Service shall be made therefrom, after it is approved by the State Government.

(5) A select list approved by the State Government under sub-rule (4) above, shall be valid for a maximum period of 18 months from the date of such approval or till the next meeting of the Selection committee, whichever is earlier;

Provided that the Government may review and revise a Select list generally, or in so far as it pertains to a particular officer, even before the expiry of the said period."

2 For the Schedule I, II and IV the following schedule shall be substituted, namely; -

SCHEDULE –I

(See Rule 6)

Name of Deptt. (1)	Name of Service (2)	Description of categories of posts and their pay scales (3)	Total number of posts sanctioned (4)	Classification (5)
Finance Depart ment	**Chhattisgarh State Finance Service**	**1. (i) Junior Scale (8000-275-13500) 55% of total number of posts sanctioned in the cadre**	**148**	**Gazetted Class-II**
		(ii). Senior Scale (10000-325-15200). 25% of total number of posts sanctioned in the cadre	**68**	**Gazetted Class-I**
		(iii) Selection Grade (12000-375-16500) 15% of total number of posts sanctioned in the cadre.	**40**	**Gazetted Class-I**
		(iv) Senior Selection Grade (14300-400-18300) 5% of total number of posts sanctioned in the cadre	**14**	**Gazetted Class-I**

Note :- Appointment of Officers in Chhattisgarh State Finance Service Cadre shall not exceed the ratio of the total number of posts sanctioned as per Rule 8 (1) (c).

SCHEDULE –II

(See Rule 8)

Name of Department	Name of the Service	Total Number of posts	Percentage of posts shown in column(3)to be filled in by directrecruitment/promotion		Note
			By direct Recruit.	By promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Deptt.	Chhattis garh State Finance Service	270	50%	50%	Counting of post for direct recruitment and promotion to Junior Scale and Kramonnati for Senior Scale , Selection Grade and Senior Selection Grade shall be made on the basis of total number of posts in the cadre.

SCHEDULE-IV

(See Rule 22, 36-A, 36-B , 36-C)

Name of Department	Name of service	Name of the post from which promotion / appointment is to be made	Name of the post on which promotion/ appointment is to be made	Total length of service required for promotion/ appointment	Name of the Members of Departmental Promotion/Selection Committee (see rule 13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	1.Chhattisgarh Subordinate Accounts Service	Assistant Treasury Officer/Assistant Internal Audit Officer/Sub Treasury Officer/Junior Accounts Officer/Lecturer, Accounts Training School	Chhattisgarh State Finance Service, Junior scale-TreasuryOfficer/Accounts Officer/ Internal Audit Officer/ Assistant Director/ Principal,AccountsTraining School	05 years	1.Chairman, C.G. Public Service Commission or Any member of C.G. Public Service Commission recommended by chairman ---Chairman 2.Finance Secretary ---Member 3.Commissioner/ Director,Treasuries, Accounts and Pension ---Member
Finance Department	2.Chhattisgarh State Finance Service	Junior scale-Treasury Officer/Accounts Officer/Internal Audit Officer/Assistant Director/ Principal, Accounts Training School	Chhattisgarh State Finance Service, Senior Scale-Senior Treasury Officer/Senior Accounts Officer/ Deputy Director	06 years	1.Finance Secretary ---Chairman 2.Additional Secretary/ Joint Secretary, GAD ----Member 3.Secretary/Special Secretary/Joint Secretary, Finance ---Member 4.Commissioner/Director, Treasuries, Accounts and Pension ---Member
Finance Department	3.Chhattisgarh State Finance Service	Senior Scale-Senior Treasury Officer/Senior Accounts Officer/ Deputy Director	Chhattisgarh State Finance Service, Selection Grade – Joint Director/ Chief Accounts Officer/ Financial Adviser	04 years	1.Finance Secretary ---Chairman 2.Additional Secretary/ Joint Secretary, GAD ----Member 3.Secretary/Special Secretary/ Joint Secretary, Finance ----Member 4.Commissioner/Director,Treasuries,Accounts and Pension ---Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	3.Chhattisgarh State Finance Service	Senior Scale- Senior Treasury Officer/Senior Accounts Officer/ Deputy Director	Chhattisgarh State Finance Service, Selection Grade – Joint Director/ Chief Accounts Officer/ Financial Adviser	04 years	1.Finance Secretary ---Chairman 2.Additional Secretary/ Joint Secretary, GAD ----Member 3.Secretary/Special Secretary/ Joint Secretary, Finance ----Member 4.Commissioner/Director,Treasuries,Accounts and Pension ---Member
Finance Department	4.Chhattisgarh State Finance Service	Selection Grade – Joint Director/ Chief Accounts Officer/ Financial Adviser	Chhattisgarh State Finance Service, Senior Selection Grade – Additional Director	05 years	1.Finance Secretary ---Chairman 2.Additional Secretary/ Joint Secretary, GAD ----Member 3.Secretary/Special Secretary/Joint Secretary, Finance ----Member 4.Commissioner/Director,Treasuries, Accounts and Pension ---Member

These amendments shall be deemed to have come into force with effect from Sept, 2008

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAYENDRA, Secretary.

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2008

क्र. एफ-1-15/स्था./चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 है ।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. **परिभाषाऍं**–इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,–
(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, निदेशक, कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ ;
(ख) चयन समिति से अभिप्रेत है, सीधी भर्ती/पदोन्नति के लिये शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति ;
(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगी परीक्षा ;
(घ) "सरकार " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ;
(ड.) "राज्यपाल " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;
(च) "अन्य पिछड़ा वर्ग " से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ–85–84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;
(छ) " अनुसूची " से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;
(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;
(झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित ज़ाति ;
(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ;
(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी (अराजपत्रित) सेवा ।

3. **विस्तार तथा लागू होना** – छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम , 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम अनुसूची एक में यथा उल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
4. **सेवा का गठन** – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात : –
(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण करते हों।
(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों।
(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि** – सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी ।

परंतु सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर समय–समय पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका** :– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन

(ख) सेवा के ऐसे सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा अनुसूची 4 में दर्शाया गया है ।

(ग) निर्दिष्ट सेवाओं में निर्दिष्ट पदों को मौलिक रूप से धारण करने वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) उपनियम (1) के खंड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची दो में दर्शायें गये पदो की संख्या एवं प्रतिशत से किसी भी समय अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए सेवा में किसी भी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिसे या जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका एवं तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जायेगी ।

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के लिये उन तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगी, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे ।

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिये, मेरिट के आधार पर चयन के लिये शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किये जा सकेंगे, तथापि निदेशक, कोषालयीन तथा लेखा द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित की जाना आवश्यक होगा, जो इन मापदंडो के अन्यथा अन्य युक्तिसंगत मापदंड, शासन की सहमति से अपना सकेगी ।

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) नियम, 1994 के प्रावधान लागू रहेंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति** – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्तियॉ, शासन द्वारा नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी तरीके द्वारा की जायेगी । अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्ते** – चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी अर्थात् :–

(1) आयु–

(क) उसने चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची तीन के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट की गयी आयु सीमा की शर्ते पूरी कर ली हों, तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट आयु सीमा की शर्ते पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम-4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सीमा तथा शर्तों के अध्ययीन रहते हुए उच्चतर आयु–सीमा शिथिलनीय होगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 बर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए । यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो "छटनी किया गया सरकारी सेवक" हों, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण स्थायी/अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण – शब्द "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही संघटक इकाईयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिष्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था।

(ड.) ऐसे अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हों, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु–सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

<u>**स्पष्टीकरण**</u> – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवंर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिष्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था ।

(एक) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन सेवा मुक्त कर दिया गया हो ,

(दो) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जो –

(क) – अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर ,

3

(ख) – नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) जो संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हो,

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने , घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवामुक्त कर दिया गया हो ।

(च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक है उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपति के संवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु–सीमा पॉच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) "शहीद राजीव पांडे पुरस्कार", "गुण्डाधूर सम्मान", "महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव" सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी हैं उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ट) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा की गयी सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी , किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी – (1) ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त खंड (घ) के उपखंड (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाये गये हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते है । तथापि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की गई हो तो वे पात्र बने रहेंगे ।

टिप्पणी – (2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी । विभागीय अभ्यर्थी को चयन के लिये उपसंजात होने के लिए नियुक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी ।

(थ) आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू रहेंगे।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं** – अभ्यर्थी के पास अनुसूची –3 में दर्शायी गयी सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए ।

(3) **फीस** – अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **निरर्हता** – अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिए निरर्हता माना जा सकेगा ।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा** – परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(11) **सीधी भर्ती – प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा**

(1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती** :– नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी इसमें तीन सदस्य होंगे ।

(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार, चयन समिति द्वारा ली जायेगी ।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती** – (एक) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि संचालक, कोषालय तथा लेखा समय–समय पर अवधारित करें ।

(दो) चयन समिति द्वारा सेवा में अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा, और

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर, गठित की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के लिए सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदो को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र0 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य है नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रेंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है, और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं

है वहां सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण रहेगा ।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची –**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति अवधारित करें तथा अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गो के उन अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक, ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गये हैं , तैयार करेगा । सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम शामिल किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नही होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जॉच के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

13. **परिवीक्षा** :– सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति** :– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची–चार के अनुसार सदस्यों की एक समिति गठित की जायेगी । परंतु इस उपनियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र0 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा ।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से की जायेगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक का नहीं होगी ।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण के क्षेत्र विस्तार की सीमा) नियम, 2003 के उपबंधो के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नत करने हेतु प्रक्रिया उपनियम (3) में उल्लेखित नियम एवं सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगी ।

(5) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

15. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता की शर्तें** :– (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों पर या उसके समतुल्य घोषित अन्य पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रुप में या मूल रुप में) जैसा कि सरकार द्वारा अनुसूची–चार के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरण – पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति :– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें शासकीय सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आता है, वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में चयन का क्षेत्र विधिमान्य होगा ।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना :–** (1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेंगी, जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए उपयुक्त समझा गया हो । यह सूची चयन सूची को तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(2) पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियॉरेटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित कर्मचारी के नाम अनुसूची चार के कालम–दो में यथानिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम से रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण :– ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किंतु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

17. **चयन सूची :–** (1) नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अंतिम रुप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–4 के कॉलम (3) में दर्शाये गये पदों से, उक्त अनुसूची के कालम (दो) में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) जिस कलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार की जावेगी उसकी विधि मान्यता उस कलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक रहेगी।

परंतु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा अनुपालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर चयन सूची का विशेष रुप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति : –** (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की नियुक्तियाँ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति का, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाये जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो ।

19. **परिवीक्षा** : – सेवा में पदोन्नत किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

20. **निर्वचन** – यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत् हो, तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण** – इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह राज्यपाल की किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से जो उसे उचित तथा न्यायसंगत प्रतीत होती हों, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है।

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

22. **व्यावृत्ति** – इन नियमों में की गयी कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आबंटित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी ।

23. **निरसन तथा व्यावृत्ति** – इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहले लागू समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजयेन्द्र, सचिव.

अनुसूची — एक
(नियम–6 देखिये)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रूपये
(1)	(2)	(3)	(4)
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	21	अराजपत्रित	3500–5200
सहायक प्रोग्रामर	17	अराजपत्रित वर्ग –3	5500–175–9000

अनुसूची – दो
(नियम–6 देखिये)
भर्ती का तरीका

भाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		सहायक प्रोग्रामर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु समिति के सदस्य
				सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विभाग	छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	21	--	100 प्रतिशत	1. वरिष्ठ अपरसंचालक/ संयुक्त संचालक, संचालनालय, कोष एवं लेखा ।
विभाग	छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी	सहायक प्रोग्रामर	17	20 प्रतिशत	80 प्रतिशत	2. संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा नाम निर्देशित छ0ग0 वित्त सेवा का कोई अधिकारी , जो कि संयुक्त संचालक/ उपसंचालक/सहायक संचालक के स्तर से कम न हो –सदस्य. 3. संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा नाम निर्देशित तकनीकी अधिकारी–सदस्य. 4. यदि ऊपर दर्शाए समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधि नहीं है तो संचालक, कोष एवं लेखा इस जाति से वित्त सेवा के वरिष्ठ संयुक्त संचालक/उप संचालक/ सहायक संचालक को नाम निर्देशित करेगा – सदस्य. **अध्यक्ष**, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्देशित कोई सदस्य–अध्यक्ष ।

अनुसूची – तीन
(नियम–6 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छ0ग0 कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी	सहायक प्रोग्रामर	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) बी0ई0/बी0टेक0/बी0 एस0 सी0 (इंजीनियरींग) प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) सहित. अथवा (ख) एम0सी0ए0/एम0सी0एम0/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नात–कोत्तर भौतिक शास्त्र/गणित/सांख्यिकीय/ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र/कंप्यूटर साइंस में एम0एस0सी0/एम0ए0 प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) सहित. अथवा (ग) बी0सी0ए0/बी0सी0एम0/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक भौतिकशास्त्र/गणित/सांख्यिकीय/ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र/ कंप्यूटर साइंस में बी0एस0सी0/ बी0ए0 कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सहित /स्नातक डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रथम श्रेणी या कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी सहित होना चाहिए .
वित्त विभाग	छ0ग0 कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	21 वर्ष	30 वर्ष	स्नातक, हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग उत्तीर्ण हो और कंप्यूटर में डिप्लोमा तथा साथ ही शासकीय एवं अशासकीय संस्था में एक वर्ष तक कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव **टीप– सभी संबंधित उपाधि (डिग्री) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था की होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ज्ञान आवश्यक है ।**

अनुसूची – चार
(नियम 16 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जावेगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वित्त विभाग	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	सहायक प्रोग्रामर	1. संचालक / अपर संचालक, कोष एवं लेखा – अध्यक्ष 2. संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा नाम निर्देशित कोई अधिकारी जो कि संयुक्त संचालक उप संचालक स्तर का हो – सदस्य 3. यदि ऊपर उल्लिखित समिति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो आयुक्त कोष एवं लेखा उपर उल्लिखित प्रवर्ग के किसी वरिष्ठ अधिकारी का नाम निर्देशित करेगा – सदस्य	संचालनालय, कोष एवं लेखा के अधीन डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर 5 वर्षो की सेवा पूर्ण की हो.

Raipur, the 24th September 2008

No. F-1-15/2007/Estt./IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Consitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service to the members of Chhattisgarh Treasuries Information Technology (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, namely :—

RULE

1. **Short title and commencement : -** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Treasuries Information Technology (Non-Gazetted) service Recruitment Rules, 2008
   (2) It shall come in to force with effect from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. **Definitions** : - In these rules, unless the context otherwise requires:-
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Director, Treasuries and Accounts, Chhattisgarh;
   (b) "Selection Committee" means selection committee constituited for direct recruitment/Promotion approved by the Government ;.
   (c) "Examination" means a competitive examination for recruitment toservice conducted under rule 11 of these rules;
   (d) " Government" means the State, Government of Chhattisgarh;
   (e) " Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
   (f) " Other Backward Classes " means the other backward class of citizens as specified by the State Government- vide Notification No. F-85-84, Dated 26 th December, 1984 as amended from time to time;
   (g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
   (h) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribe as specified in relation to this state under article 342 of the Constitution of India;
   (i) "Scheduled Castes" means the Scheduled Caste as specified in relation to this state under article 341 of the Constitution of India;
   (j) " State" means the state of Chhattisgarh;
   (k) " Service" means the Chhattisgarh Treasuries information Technology (Non-Gazetted) Service.

3. **Scope and Application :-** without prejudice to the generality of the provision contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of service) Rules, 1961 these rules shall apply to every member of this service as mentioned in Schedule-1.

4. **Constitution of the Service :-** The service shalll consist of the following persons, namely : -

(1) Persons who at the commenecement of these rules are holding substantively the posts specified in schedule-1;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5 **Classifications, pay scales, etc :-** The Classification of the service,the number of posts included in the service and the scale of pay attached there to shall be as specified in Scheduled I:

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment :-** (1) Recruitment to the service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-

(a) By direct recruitment by selection,through competitive examination;

(b) By promotion such members of service, as are specified of Schedule-IV;

(c) By transfer/deputation of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2). The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, Government may after approval of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the sevice other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For posts to be filled up by direct recruitment, Government may specify Norms for selection on the merit basis, however, it will be mandatory on the Director Treasuries and Accounts to constitute a selection committee, which may adopt other appropriate Norms, different from there norms, by consant of the Government.

(6) At the time recruitment the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Reservations for scheduled castes, scheduled Tribes and Other Backword Classes) Rules 1994 shall be applicable.

7. **Appointment to the Service -** All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eigibility for direct recruitment -** In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) **Age :-**

(a) He must have attained the age specified in column (4) of Schedule III and must have not attained the age spedified in column (5) of the said schedule on the first day of january, next following the date of commencement of selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribe or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxed up to a maximum of ten years to a woman candidate in accordance with the provisions of rule 4 of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for appointment of Women's) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of the candidates who are, or have been empolyees or the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent Government servant, should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 year of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work-charge employees and employees working in the project implementing committees;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government Servant", shall be allowed to deduct from his age the period of all permanent/Temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation :- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reductions in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment

exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A Candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation :- The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of the registration at any Empolyment Exchange or application made otherwise for employment in Government service :-

(i)"Ex-Servicemen" released under mustering out concession ;

(ii)"Ex-Servicemen" enrolled for the second time anc discharged on

(a) completion of short-term engagement,

(b) fulfilling the conditions of enrolment.

(iii)"Ex-servicemen" (Military and Civil) discharged oı completion of their contract (including short service Regula Commissioned Officers).

(iv) "Ex-servicemen" Discharged after working for more than si months continuesly against leave vacancies ;

(v) "Ex-servicemen" invalid out of service ;

(vi) "Ex-servicemen" discharged on the ground that they ar unlikely to become efficient soldiers.

(vii) "Ex-servicemen" who are medically boarded out on accou of gunshot wounds etc.

(f) The upper as limit shall be relaxable up to two years in respect Green Cards holder candidates under the family welfare programme.

(g) The general upper age limit shall be relaxable up to five years respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inte Caste marriage incentive programme of the Schedule Caste, Schedu Tribe and Other Backward Classes welfare Department.

(h) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of t "Shaheed Rajiv Pandey Award", " Gundadhur Samman", "Mahar Praveer Chandra Bhanjdeo Samman", holders candidates a National Youth award winners.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State / Corporation / Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxable in the case of Voluntary Home Guard and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note :- (1) Candidates, who are found eligible for selection, under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment it after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note :- (2) In no other case shall these age limits be relaxed, Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(k) Orders and directives, issued from time to time, of General Administrative Department in respect to Age shall be applicable.

(2) **Educational qualification :-** The candidate must possess the educational qualifications preseribed for the service as specified of schedule-III

(3) **Fees :-** The candidates must pay the fees prescribed by the Government.

9. **Disqualification** - Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means, may be held by the appointing Authority to disqualify him to appear examination / selection.

10. **Appointing Authority's decision about eligibility of candidate shall be final :-** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination / interview shall be final and no candidate to whow a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed appearing in the examination or for being interviewed.

11. **Direct recruitment - by competitive examination / selection**

(1) **Direct Recruitment by Competitive Examination :-** Appointing Authority shall constitute selection committee consisting of three members.

(i) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may in consulation with the Government from time to time, determine;

(ii) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with the orders issued by the Appointing Authority from time to time.

(2) **Direct recruitment by selection**- (i) Selection for recruitment to the service shall be made at such intervals, as the Director, Treasuries & Accounts may from time to time determine;

(ii) The selection of the candidates to the service shall be made by the Selection Committee by interviewing them, and

(iii) Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the persons belonging to Scheduled Castes, Secheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jaiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Aarakshan Adhiniyam, 1994 No. 21 of 1994)

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their name appear in the list refreced to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficicency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribe and Other Backward Classess, as the case may be.

(6) At the stage of direct recruitment 30 percent posts shall be reserved for Women candidates, in accordance with provision of the Chhattisgarh Civil Services (special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Competent Authority that there is a possibility the candidates belonging to the Scheduled Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Reservation for handicapped persons shall be as per the directives of General Administration Department.

12. List of Candidates Recommended by the Selection Committee :-

(1) The Appointing Authority shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Selection Committee may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions and Service) Rules, 1961 the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

13. Probation :- Every Person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. Appointment by Promotion :- (1) There shall be constituted a Committee, consisting of the member in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible mentioned candidates. Provided that, for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, that provisions of Section - 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jaitiyon, Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Aarakkshan Adiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), Shall also be adhered to.

(2) The Committee, shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil services (Reservation in promotion and limits on the extent of zone of consideration) Rules, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved in the reserved vacancies shall be made in accordance with Sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

(5) Promotion shall be made by the Government as per Reservation Roster prescribed for promotion.

15. Conditions of Eligibility for Promotion/Transfer :- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of service, (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or on any other posts declared equivalent there to by the Government as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation :- Method of Computation for Eligibility for promotion – The calculation of the period of qualifing service on Ist January of the year in which the Department Promotion Committee / Scrutiny Committee is called for meeting is done from the year when the Government servant has attained the pay-scale of the respective feeder Cadre/post of service / post and not from the date he has attained the pay-scale.

(2) The field of selection for promotin shall be vaild in accordance with the Provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule-2003.

16. Preparation of the list of suitable candidates : - (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 and are held by the committee to be suitable for promotion/transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) For preparing the select list of persons for promotion, the criterion shall be seniority subject to fitness.

(3) The name of the employee included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts, as specified in Column (2) of Scheduled IV, at the time of preparation of such select list as per Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules 1961.

Explanation : - A person, whose name is included in the select list, but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

17. Select List : -(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall from the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned column (3) of Schedule IV to the posts metioned in column (2) of the said Schedule.

(2) The select list for promotion shall be vaild upto 31st December of the Calender year in which it is prepared.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or perfomance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the Departmental Promotion Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to the service from the select list : -**(1) Appointments of the employees included in the select list shall be made accordance with the provisions of Chhattisgarh Lok Sewa (Promotions) Rules 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Department Promotion Committee before the appointment of a person, whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. **Probation :-** Every person promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation :-** If any question arises relating to the interpretaion of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation :-** Nothing in these rules shall be coustrued to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to it be just and equivalent.

Provided that the case shall not be dealt with any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. **Saving :-** Noting in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. **Repeal and Saving :-** All rules corresponding to these rules and enforced immediately before their commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAYENDRA, Secretary.

SCHEDULE - I
(See rule 6)

Classification, pay scale in servic & No. of posts included in service

Name of posts included in service	No. of Posts.	Classification	Pay scales Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)
Data Entry Operator	21	Non Gazetted	3500—5200
Assistant Programmer	17	Non Gazetted - III	5500—175—9000

SHEDULE - II

(See rule 6)

Procedure of Recruitment

Name of Department	Name of Service	Name of in Service	No. of total posts	Percent of post to be filled up		Committee Members for Direct Recruitment for the post of Assistant Programmers & Data Entry Operator
				By Promotion from members of Service	By direct Recruit ment	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Finance Department	C.G. Treasuries information Techonology	Data Entry Operator	21	-	100 %	1. Senior Additional Director/ Joint Director of Directorate, Treasuries and Accounts. 2. Any officer of Chhattisgarh Finance Service nominated by the Director, Treasuries & Accounts not less than the level of joint Director/Deputy Director/ Assistant Director- Member 3. Technical Officer as nominated by Director, Treasuries and Accounts. - Member 4. If in the above mentioned Committee there is no representation of Scheduled Caste/Scheduled Tribe, the Director, Treasuries and Accounts, will nominate a Senior Joint, Director/ Dy Director/ Assistant Director of Chhattisgarh Finance Service belonging to this caste. - Member Chairman, Public Service Commission or any member nominated by him. - Chairman
Finance Department	C.G. Treasuries information Techonology	Assistant Programers	17	20 %	80 %	

SCHEDULE - III
(See rule 6)

Name of Department	Name of Service	Name of post in service	Min. Age	Max Age	Prescribed Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department	C.G. Treasuries Information Techonology	Assistant Programmer	21 years	30 years	(a)B.E./B.Tech/B.Sc. (Engineering) with 1st Class or atleast 60 % marks in aggregate or equivalent grade. OR (b) M.C.A/M.C.M./Masters in Information Technology/M.Sc./M.A. in (Physics/Maths/Statistics/ Operation Research/ Economics. Computer Science) with 1st Class or atleast 60% marks in aggregate or equivalent grade. OR (c) B.C.A./B.C.M./Bachelor in Information Technology/B.Sc./B.A. in (Physics/Maths/Statistics/Operation Research/Economics/Computer Science) with either Post Gtadudate Diploma in Computer Science/ Computer Applications. The Bachelor's Degree and P.G Diploma should be with st Class or atleast 60 % marks in aggregate or equivalent grade.
Finance Department	C.G. Treasuries Information Techonology	Data Entry Operator	21 Yrs	30 Yrs	Gradudate, Hindi & English Typing Passed & Diploma with Computer. Experience the work in computer of one year at any authorised organization. Note- The relevant degrees should be from a Government recognised University/ Institution. Knowledge of computer programming is essential.

SCHEDULE - IV
(See rule 16)

Name of Department	Name of post from which will be promoted	Name of post on which will be promoted	Name of the member of Departmental Promotion Committee (See Rule 13)	Other Matters
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Finance Department	Data Entry Operator	Assistant Programmer	1. Director/ Additional Director, Treasuries and Accounts- Chairman 2. Name directed by Director, Treasuries and Accounts, which is the officer in the rank of Jont Director/ Dy Director.- Member 3. If in the above mentioned, committee there is no represeentation of Scheduled Caste / Scheduled Tribe, the Commissioner, Treasuries and Accounts will nominate a senior officer belonging to the above mentioned category. Member	Completed five years of Service on the posts of Data Entery Operator under the Directorate of Treasury and Accounts.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2008

क्रमांक/9451/भू-अर्जन/वाचक कले./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	धनरास	78.681	मेसर्स धीरू पावरजेन प्रा. लि., रायपुर.	पावर प्लांट की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2008

क्रमांक/9453/भू-अर्जन/वाचक कले./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	छुरीकला	7.419	मेसर्स धीरू पावरजेन प्रा. लि., रायपुर.	पावर प्लांट की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2008

क्रमांक/9455/भू-अर्जन/वाचक कले./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	चोरभट्ठी	5.648	मेसर्स धीरू पावरजेन प्रा. लि., रायपुर.	पावर प्लांट की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2008

क्रमांक/9457/भू-अर्जन/वाचक कले./2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	पुरेनाखार	5.785	मेसर्स धीरू पावरजेन प्रा. लि., रायपुर.	पावर प्लांट की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक 13/अ-82/2007-2008.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मझवानी प. ह. नं. 6	0.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	मझवानी जलाशय नहर निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2008

क्रमांक 14/अ-82/2007-2008.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रिंगवार प. ह. नं. 5	6.89	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	रिंगवार जलाशय नहर निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 सितम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बिंजकोट प. ह. नं. 14	98.011	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 सितम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	दर्रामुड़ा प. ह. नं. 14	107.391	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 सितम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बड़े जामपाली प. ह. नं. 14	43.441	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2008

क्रमांक-भू-अर्जन/प्र. क्र. 6/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-नागचुवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
151	0.64
152/2	0.25
योग 2	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महामाया जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 9 सितम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-गंगदेई, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.43 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
144	0.46
145	0.16
142/2	0.14
147/1	0.16
146/1	0.24
142/4	0.13
146/3	0.24
147/3	0.17
142/3	0.13
146/2	0.24
147/2	0.17
143	0.78
136	1.42
139	0.55
142/4	0.80
134	0.33
138/3	0.21
138/2	0.81
140	0.56
138/1	1.00
130	0.32
131	0.41
योग	9.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गंगदेई व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 9 सितम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.11 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
555/1, 569/1	0.25
555/2, 569/2	0.90
570	0.50
571/1	0.26
571/2	0.20
योग	2.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गंगदेई व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 सितम्बर 2008

क्र./क/वा./अ. वि. अ./भू-अर्जन/2008/1959.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-ग्राम सिवनी, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.056 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1828/2	0.061
2269/2	0.105
2268/3	0.057
2268/2	0.085
2268/4	0.008
2267	0.121
2267	0.057
2311/25	0.024
2266	0.053
2265/2	0.085
2265/25	0.008
2265/1	0.053
2265/1	0.089
2264/2	0.032
2329	0.170
2327	0.020
2326	0.089
2322	0.057
2327	0.045
2323	0.008
2333/5	0.004
2333/2	0.089
2333/3	0.020
2345	0.077
2346/1	0.032
2344	0.040
2342	0.073
2341/1	0.053
2341/3	0.065
2378/1	0.081
2373/2	0.057
2378/2	0.020
2374	0.073
2373/4	0.101
2385	0.032
2372/1	0.012
योग 36	2.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चांपा बाईपास रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 सितम्बर 2008

रा. प्र. क्र./1/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-भैयाथान

(ग) नगर/ग्राम-चोपन, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.560 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	18	0.160
	19	0.250
	20	0.080
	26	0.080
	28	0.100
	33/3	0.050
	34	0.080
	35	0.120
	36	0.270
	37	0.030
	39	0.060
	41	0.140
	42	0.060
	45	0.020
	46	0.060
योग	15	1.560

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भैयाथान ताप विद्युत परि. के राखड़ पाईप लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 सितम्बर 2008

रा. प्र. क्र./7/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-भैयाथान

(ग) नगर/ग्राम-रगदा, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-61.90 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1155	0.55
1156	0.02
1163	0.22
1178	0.10
1179	0.11
1185	2.10
1186/1	0.42
1186/2	0.60
1187	0.22
1188/1	0.11
1188/2	0.10
1189	0.11
1190	0.12
1191	0.18
1192	0.32
1193	0.39
1194	0.10
1195	0.15
1196	0.14
1197	0.20
1198	0.08
1199	0.11
1200	0.29
1201	0.44
1202	0.14
1203	0.55
1204	0.95
1213	0.02
1214	0.01
1215	0.04
1216	0.21
1217	0.50
1218	0.86
1219	0.20
1220	1.12

(1)	(2)	(1)	(2)
1222	0.24	1269	0.32
1223	1.21	1270	0.90
1224	0.78	1271	0.51
1225	0.16	1272	0.32
1226	0.18	1273	0.32
1227	0.06	1274	0.77
1228	0.13	1275	0.16
1229	0.13	1276	0.16
1230	0.34	1277/1	0.25
1231	0.08	1277/2	0.10
1232	0.02	1277/3	0.10
1233	0.10	1277/4	0.10
1234	0.53	1277/5	0.14
1235	0.70	1277/6	0.14
1238	1.21	1278	0.07
1239	0.37	1279	0.07
1240	0.15	1280	1.13
1241	0.47	1281/1	0.27
1242	0.24	1281/2	0.22
1243	0.25	1281/3	0.21
1244	1.83	1281/4	0.11
1245	0.20	1281/5	0.09
1246	0.14	1281/6	0.12
1247	0.15	1281/7	0.28
1248	0.22	1282	0.36
1249	0.22	1283/1	0.57
1250	0.36	1283/2	0.09
1251	0.27	1284	0.44
1252	0.27	1285	0.51
1253	0.12	1286	0.30
1254	0.27	1288	0.10
1255	0.46	1289	0.12
1257	0.80	1290	0.07
1258	0.08	1291	0.07
1259	0.07	1292	0.08
1260	0.24	1293	0.33
1261	1.23	1294	0.17
1262	0.21	1295	0.15
1263	0.21	1296	0.26
1264/1	0.11	1297	0.14
1264/2	0.10	1298	0.15
1265	0.42	1299/1	0.19
1266	0.37	1299/2	0.18
1267	0.25	1299/3	0.18
1268/1	0.15	1299/4	0.18
1268/2	0.15	1299/5	0.17

(1)	(2)
1299/6	0.17
1300	0.25
1301	0.40
1302	0.35
1303	0.10
1329	0.56
1330	0.34
1331	0.12
1332	1.54
1333	0.01
1338	0.03
1339	0.02
1340	0.02
1341	0.07
1342	0.11
1343	0.14
1344	0.23
1345	0.14
1346	1.00
1347	0.07
1349	0.08
1350	0.10
1351	0.14
1352	0.14
1353	0.29
1354	0.16
1355	0.12
1356	0.08
1357	0.50
1358	0.08
1359	0.05
1360	0.07
1361	0.09
1362	0.04
1363/1	0.09
1363/2	0.04
1363/3	0.04
1364	0.16
1365	0.15
1366	0.07
1367	0.08
1368	0.18
[illegible]	0.13
1370/3	0.30
1370/4	0.31
1370/5	0.06
1370/6	0.38
1371	0.66
1372	0.34
1373	0.18
1374	0.07
1375	0.08
1376	0.06
1377	0.37
1378	1.00
1379	0.20
1380	0.14
1381	0.14
1383	0.14
1384	0.25
1385	0.25
1386	0.46
1387	0.66
1388	0.33
1389	0.05
1390	0.04
1391	0.05
1392	0.07
1393/1	0.12
1393/2	0.10
1396	0.60
1397	0.33
1398	0.90
1399	0.04
1401	0.18
1402	0.50
1403	1.14
1404	0.18
1415/1	1.21
1415/2	0.03
1415/7	0.17
1415/10	0.14
1418	0.72
1427/1	0.45
1428	0.25
योग 212	61.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भैयाथान ताप विद्युत परि. के राखड़ बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 12 सितम्बर 2008

रा. प्र. क्र./8/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-भैयाथान
- (ग) नगर/ग्राम-सिरसी, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-131.640 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
271	0.010
297	0.650
298	0.340
299	0.010
300	0.700
322	0.100
323	0.080
325/1	0.170
325/2	0.130
326	0.230
327	0.200
328	0.350
331	0.110
332	0.100
333	0.080
334/2	0.100
339	0.160
349	0.160
350	0.220
358	0.200
359	0.180
366	0.220
375	0.530
391/2	0.220
394	0.220
395	0.060
396	0.070
398	0.420
929/2	0.100
940/2	0.040
941	0.470
943	0.450
944	0.130
945	0.100
948	0.300
961	0.070
962	0.060
991	0.010
992	0.050
993	0.050
994	0.060
995	0.030
996	0.220
998	0.010
999	0.070
1007	0.020
1008	0.100
1009	0.120
1010	0.030
1011	0.240
1013	0.030
1044	0.010
1045/2	0.150
1046	0.110
1047	0.070
1048	0.010
1049	0.300
1051	0.110
1052	0.300
1054	0.540
1055	0.010
1061	0.160
1062	0.130
1064	0.060
1065	0.010
1066	0.080
1164	0.180
1165	0.110
1166	0.030
1173	0.190
1175	0.060

(1)	(2)	(1)	(2)
1176	0.140	1752	0.590
1177	0.300	1753	0.140
1178	0.300	1754	0.440
1185/1	0.040	1755	0.290
1185/2	0.040	1756	0.230
1238	0.050	1757	0.090
1239	0.200	1758	0.060
1240	0.100	1759	0.230
1241	0.060	1760	0.240
1243	0.320	1761	0.750
1244	0.260	1762/2	0.350
1245	0.230	1763/1	0.200
1246	0.150	1763/2	0.210
1247	0.090	1764	0.390
1248	0.010	1765	0.350
1722/1	0.090	1766	0.100
1722/2	0.090	1767/1	0.080
1724	0.010	1767/2	0.080
1725	0.410	1767/3	0.080
1725/1	0.250	1767/4	0.070
1726/1	0.870	1768/1	0.250
1726/2	0.210	1768/2	0.250
1727/1	0.160	1768/3	0.250
1727/2	0.160	1768/4	0.240
1728	0.440	1769/1	0.090
1733	0.380	1769/2	0.090
1733/2	0.180	1769/3	0.090
1734	0.300	1769/4	0.100
1735	0.180	1770	0.520
1736	0.340	1771	0.240
1737	0.100	1772	0.630
1738	0.110	1773	0.360
1739	0.140	1774	0.270
1740	0.120	1775	0.280
1741	0.210	1776	0.600
1742	0.080	1777	0.490
1743/1	0.660	1778	0.460
1743/2	0.480	1780	0.320
1744	0.160	1781	0.440
1745	0.050	1782	0.010
1746	0.520	1783	0.390
1747	0.250	1784	0.120
1748	0.160	1785	2.310
1749	0.500	1786	0.160
1750	0.250	1791	0.380
1751	0.440	1792	0.250

(1)	(2)	(1)	(2)
1793	0.240	1836/1	0.110
1794	0.240	1836/2	0.120
1795	0.130	1836/3	0.150
1797	0.200	1837	0.670
1798	0.080	1838	0.680
1799	0.300	1840	0.020
1801	0.250	1841	0.140
1802/1	0.110	1842	0.300
1802/2	0.140	1843	0.310
1803	1.510	1844	0.300
1804	0.370	1845	0.180
1805/1	0.310	1846	0.170
1805/2	0.300	1847	0.350
1806	0.170	1848	0.170
1807	0.190	1849/1	0.290
1808	0.060	1849/2	0.050
1809	0.340	1849/3	0.640
1810	1.010	1850	0.360
1811	0.980	1851/1	0.250
1812	0.630	1851/2	0.150
1813	0.230	1852	0.250
1814	0.890	1853	0.320
1815	0.500	1854	0.300
1816	0.280	1855	0.180
1816/1	0.220	1856	0.150
1817	0.390	1857	0.250
1817/2	0.340	1858	0.260
1818	0.430	1859	0.550
1819	0.410	1860	1.130
1820	0.900	1861	0.420
1821	0.370	1862	0.390
1821/1	0.280	1863	0.970
1821/2	0.090	1864/1	0.860
1822	0.200	1864/2	1.410
1823	0.230	1865	0.620
1823/2	0.060	1866	0.870
1824	0.170	1867/1	0.070
1825	1.250	1867/2	0.070
1827	0.510	1867/3	0.070
1828	0.440	1868/1	0.100
1829	0.320	1868/2	0.110
1830	0.380	1868/3	0.110
1831	0.750	1869/1	0.110
1832	1.200	1869/2	0.110
1832/2	0.370	1869/3	0.100
1833	0.380	1870	0.600
1836	0.650	1871	0.660

(1)	(2)	(1)	(2)
1872	0.700	1930	0.530
1873/1	0.460	1931	0.070
1873/2	2.800	1933	0.800
1874	0.500	1934/2	0.300
1874/2	0.400	1934/3	0.040
1875/1	0.190	1934/4	0.040
1875/2	0.190	1934/5	0.040
1875/3	0.190	1934/6	0.040
1876	0.180	1935/1	0.190
1876/4	0.330	1935/2	0.190
1884	0.730	1936	0.780
1885	0.390	1937	0.320
1886	0.230	1938	0.710
1887	0.250	1940	0.680
1888/1	0.160	1941/1	0.410
1889/1	1.210	1942	1.160
1889/2	0.550	2432	0.120
1890	0.090	2433	0.560
1891	0.880	2511	0.650
1893	0.180	2512	0.710
1894/1	0.280	2513	1.750
1894/2	0.580	2514/1	0.240
1896/1	0.330	2514/2	0.240
1896/2	0.320	2515	0.430
1896/3	0.320	2516	0.110
1897	0.630	2517	0.530
1898	0.290	2518	0.320
1899	0.320	2519	0.550
1900	0.110	2520	0.820
1901	0.220	2521	3.930
1902	0.300	2522	0.150
1903	1.010	2523	0.150
1904	0.630	2524	0.150
1905	0.510	2525	0.130
1906	0.140	2526	0.670
1907	0.450	2527/2	0.240
1920	0.200	2528	0.380
1923/1	0.050	2529	0.980
1923/2	0.040	2530	0.450
1927	0.470	2531	0.200
1928/1	0.030	2532	0.800
1928/2	0.200	2533	0.540
1928/3	0.210	2534	0.670
1928/4	0.200	2535	0.890
1928/5	0.200	2539/1	0.680
1929/1	0.420	2540	0.650

(1)	(2)	(1)	(2)
2541/1	0.230	2686	0.100
2541/2,	0.230	2688	0.120
2541/3	0.230	2689	0.110
2541/4	0.240	2691	0.020
2543	0.950	2700	0.010
2544	1.100	2701	0.030
2553/2	0.370	2702	0.050
2562	0.010	2703	0.030
2565	0.620	2707	0.010
2566	0.100	2708	0.100
2567	0.110	2714/1	0.110
2568/1	0.120	2714/2	0.160
2568/2	0.120	2715	0.500
2569	0.590	2728	0.200
2582	0.260	2729	0.010
2584	0.120	2730	0.100
2585	0.120	2731	0.010
2587	0.010	2732	0.080
2589	0.010	2733	0.100
2600	0.030	2734	0.110
2601	0.150	2735	0.150
2602	0.360	2738	0.420
2603	0.100	2739	0.210
2615	0.020	2740	0.100
2616	0.100	2760/3	0.080
2617	0.100	2762	0.010
2619	0.220	2763	0.010
2625	0.100	2764	0.040
2626/1	0.050	2765	0.040
2626/2	0.050	2766/1	0.100
2627/1	0.100	2766/2	0.100
2633	0.100	2777	0.400
2634	0.010	2779	0.040
2635	0.120	2780	0.030
2636	0.110	2781/1	0.100
2641	0.040	2781/2	0.160
2642	0.250	2781/3	0.160
2672	0.080	2781/4	0.040
2673	0.060	2781/5	0.020
2674	0.040	2783	0.060
2675	0.050	2940	0.080
2676	0.050	2941	0.100
2677	0.200	2942	0.100
2678	0.200	2943	0.010
2679	0.020	2944	0.760
2685	0.180	2946	0.080

(1)	(2)
2966/1	0.160
2966/4	0.400
2967	0.070
2968	0.010
2969	0.340
2586/2978	0.010
योग 447	131.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भैयाथान ताप विद्युत परि. के राखड़ बांध, राखड़ पाईप लाईन एवं जल वाहिनी पाईप लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या.-अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 15 सितम्बर 2008

रा. प्र. क्र./9/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-भैयाथान
- (ग) नगर/ग्राम-सिरसी, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-73.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
520	0.41
521	0.10
522	0.40
523	0.27
526	1.09
527/1	0.15
527/2	1.19
529	2.02
530	0.77
531	0.48
532	0.43
533/1	0.46
533/2	0.38
533/3	0.30
534	0.33
535	0.32
536	0.07
537	0.18
538	0.11
539/1	0.27
539/2	0.26
540	0.06
541	0.29
542	0.27
543	0.11
544	0.30
545	0.06
546	0.16
547	0.18
548	0.25
549	0.10
550/1	0.12
550/2	0.03
551/1	0.20
551/2	0.02
552	0.17
553	0.16
554/1	0.05
554/2	0.03
554/3	0.20
555	1.18
557	0.40
558	0.61
560/1	1.47
560/2	0.20
561	0.07
562	0.67
563	0.98
564	0.15
565	1.53

(1)	(2)	(1)	(2)
566	0.23	608	0.19
567	0.33	609/1	0.09
568	0.29	609/2	0.05
569	0.87	609/3	0.26
570	0.35	609/4	0.44
571	0.03	609/5	0.50
572	0.42	609/6	0.11
573	0.27	609/7	0.20
574	0.10	609/8	0.02
575	0.03	609/9	0.41
576	0.77	609/10	0.46
578/1	0.23	610/1	0.12
578/2	0.23	610/2	0.11
578/3	0.46	623	0.15
579/1	0.08	624	0.07
579/2	0.18	625	0.40
580	0.54	626	0.31
581	0.42	627	0.21
582	0.35	628	0.41
583/1	0.08	629	0.16
583/2	0.10	630	0.64
584/1	0.24	631	0.22
584/2	0.24	632/1	0.12
585	0.36	632/2	0.12
586	0.18	633	0.07
587	0.37	634	0.08
588	0.13	635	0.11
589	0.33	636	0.08
590	0.42	637/1	0.08
591	0.39	637/2	0.02
592	0.25	637/3	0.03
593	0.20	638	0.19
594	0.09	639	0.08
595	0.44	641	0.03
596	0.33	642	0.10
597	0.15	643/1	0.06
598	0.14	643/2	0.17
599	0.15	644	0.21
602/1	0.11	645	0.20
602/2	0.10	646	0.36
602/3	0.10	647	0.18
603	0.20	648	0.09
604	0.21	649	0.09
605	0.14	650	0.05
606	0.32	651	0.04
607	0.14	652	0.11

(1)	(2)	(1)	(2)
653	0.23	2853	0.13
654	0.14	2854	0.17
655	0.01	2855	0.54
656	0.12	2856	0.32
657	0.14	2857	0.32
665	0.29	2858	0.26
2796	0.59	2859	0.27
2799	0.18	2860	0.28
2800	0.18	2861	0.85
2804	0.46	2862	1.09
2805	0.20	2863	0.74
2806/1	0.39	2864/1	0.06
2806/2	0.11	2864/2	0.10
2806/3	0.28	2864/3	0.10
2807	0.10	2864/4	0.30
2808	0.10	2864/5	0.04
2809	0.77	2864/6	0.04
2810	0.14	2865/1	0.07
2811	0.06	2865/2	0.07
2812	0.20	2866	1.25
2813	0.20	2867	0.38
2814	1.12	2868	0.33
2815	0.41	2869/1	0.05
2816	0.20	2869/2	0.04
2817/1	0.39	2869/3	0.04
2817/2	0.06	2870	0.14
2818	0.38	2871	0.73
2820	0.51	2872	0.38
2821	0.24	2873	0.37
2822	0.79	2874/1	0.14
2823	0.07	2874/2	0.07
2824	0.06	2874/3	0.06
2825	0.17	2874/4	0.06
2826	0.13	2875	0.58
2827	0.07	2876	0.56
2828	0.91	2877	0.18
2829	0.19	2878	0.06
2830	0.12	2879/1	0.06
2831/1	0.08	2879/2	0.13
2831/2	0.55	2880	0.05
2832/1	0.37	2881	0.07
2832/2	0.13	2882	0.30
2833	1.43	2883/1	0.60
2849	0.81	2883/2	0.35
2850	1.01	2883/3	0.35
2851	0.43	2884	0.06
2852	0.78	2885	0.14

(1)	(2)
2886	0.26
2887/1	0.21
2887/2	0.11
2887/3	0.06
2887/4	0.06
2888	0.15
2889	0.20
2890	0.12
2894	0.23
656/2981	0.57
554/2982	0.37
555/2983	0.65
630/2986	0.04
527/2988	0.55
योग 250	73.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भैयाथान ताप विद्युत परि. के राखड़ बांध, राखड़ पाईप लाईन एवं जल वाहिनी पाईप लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि., प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्या.-अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण), अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ. ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 18 सितम्बर 2008

क्र./1017/प. रि. अ./2008.—मैं डॉ. रोहित यादव (आई. ए. एस.), कलेक्टर, सरगुजा (अम्बिकापुर) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, नगर पंचायत प्रतापपुर के वार्ड क्र. 12 के पार्षद द्वारा स्वेच्छापूर्वक दिया गया त्यागपत्र स्वीकार करता हूं. जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित है.

अनुसूची

क्र.	निकाय का नाम	वार्ड क्र.	पार्षद का नाम जिनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया है	वार्ड के आरक्षण की स्थिति (वर्ग)	त्यागपत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	त्यागपत्र प्रस्तुत करने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	न. पं. प्रतापपुर	12	श्री संदीप कुमार नामदेव	अ. पि. वर्ग	11-08-2008	शिक्षाकर्मी वर्ग 03 के पद पर नियुक्ति होने के कारण.

रोहित यादव,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 17th September 2008

No. 851/Confdl./2008/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Deepak Kumar Tiwari, Member of Higher Judicial Service presently posted as III Additional District & Sessions Judge, Bilaspur, is appointed as Additional Director, Judicial Officers' Training Institute in the Establishment of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur from the date he assumes charge of his office.

By order of Hon'ble High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

Bilaspur, the 15th September 2008

No. 40/L.G./2008/II-2-22/2001.—Smt. Mathur is hereby, granted earned leave for 04 days form 24-09-2008 to 27-09-2008 along with the permission to leave headquarters from the evening of 23rd September, 2008 till the morning of 29th September, 2008.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Mathur, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After adjusting of the aforementioned leaves, 54 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

The Registry order No. 38/L. G./2008/II-2-22/2001, dated 28-08-2008 regarding grant of earned leave for 03 days form 17-09-2008 to 19-09-2008 to Smt. Maitreyi Mathur, Principal Judge, Family Court, Raipur is cancelled

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2008

क्रमांक 158/दो-2-43/2004.— श्री प्रभात कुमार शास्त्री, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा वर्तमान विधिक सलाहकार, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर को उनके आवेदन पत्र के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2007 से प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.